प्रारंभिक परीक्षा

आपदा का अंकगणित: क्यों 16वें वित्त आयोग का सूत्र जोखिम-प्रवण राज्यों के लिए विफल रहता है

संदर्भ

भारत का सबसे आपदा-संवेदनशील राज्य होने के बावजूद, 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए दोषपूर्ण आवंटन मानक के कारण ओडिशा को आपदा निधि के हिस्से में सबसे बड़ी कटौती का सामना करना पड़ा है।

आपदा वित्त पोषण पर 16वां वित्त आयोग

- 16वें वित्त आयोग (FC) ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के कोष को लगभग 60% बढ़ाकर ₹2,04,401 करोड़ कर दिया है। **इसे वितरित करने के लिए, इसने "योगात्मक" (additive) दृष्टिकोण से हटकर एक गुणात्मक आपदा जोखिम सूचकांक (Disaster Risk Index - DRI) को अपनाया है -**

  DRI = संकट (Hazard) X जोखिम (Exposure) X सुभेद्यता (Vulnerability)

- **मंशा:** जोखिम तभी मौजूद होता है जब कोई आपदा (जैसे चक्रवात) उन लोगों के साथ परस्पर क्रिया करती है जिनके पास उससे निपटने के साधन नहीं होते हैं।

16वें वित्त आयोग के आपदा आवंटन सूत्र में खामियां

- **जनसंख्या और जोखिम को एक ही श्रेणी में रखना**: राज्य की कुल जनसंख्या को एक संकेतक मानकर, यह सूत्र सभी नागरिकों को समान रूप से जोखिम में मानता है।
  - गणितीय रूप से, यह उन छोटे राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वाले, भौगोलिक रूप से "सुरक्षित" अंतर्देशीय राज्यों को प्राथमिकता देता है, जहाँ पूरी जनसंख्या उच्च जोखिम वाले तटीय या पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित है।
- **आय को लचीलेपन (Resilience) के लिए एक गलत प्रतिनिधि मानना:** प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) का उपयोग किसी राज्य की भौतिक सुभेद्यता के बजाय उसकी राजकोषीय क्षमता को मापता है। उच्च आय वाले राज्य (जैसे केरल) चरम जलवायु घटनाओं के प्रति भौतिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन उनकी सापेक्ष संपत्ति के कारण उन्हें कम सुभेद्यता स्कोर के साथ दंडित किया जाता है।
- **"गुणात्मक जाल" (Multiplicative Trap):** चूंकि सूत्र गुणात्मक है, इसलिए किसी भी एक श्रेणी (विशेष रूप से जनसांख्यिकीय आकार) में कम स्कोर कुल योग को भारी रूप से नीचे खींच देता है। यह कम संकट वाले लेकिन विशाल जनसंख्या वाले राज्यों को उन राज्यों से "अधिक स्कोर" करने की अनुमति देता है जो उच्चतम वास्तविक जोखिमों का सामना कर रहे हैं।
- **बहुआयामी नाजुकता की अदृश्यता:** यह सूत्र कच्चे आवासों के हिस्से, जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के घनत्व और आदिवासी हाशिए पर होने जैसे गैर-मौद्रिक कारकों की अनदेखी करता है।
- **आपदा निवेश को हतोत्साहित करना:** ओडिशा जैसे राज्य, जिन्होंने दशकों से "लगभग शून्य मृत्यु दर" बुनियादी ढांचे (चक्रवात आश्रय, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली) के निर्माण में खर्च किया है, अपनी निधि में कटौती देख रहे हैं।
  - यह सूत्र प्रभावी रूप से किसी राज्य द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले संकटों की वास्तविक तीव्रता और आवृत्ति के बजाय "जनगणना" (headcounts) को प्राथमिकता देता है।

जोखिम-आधारित भविष्य के लिए सुझाए गए उपाय

- **'जोखिम' को परिष्कृत करना:** कुल जनसंख्या से हटकर जोखिम क्षेत्र की जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करना। यह BMTPC भेद्यता एटलस का जनगणना गणना ब्लॉकों के साथ मिलान करके प्राप्त किया जा सकता है, ताकि केवल बाढ़ के मैदानों या भूकंप क्षेत्रों में रहने वालों की गणना की जा सके।
- **समग्र भेद्यता सूचकांक:** प्रति व्यक्ति आय को एक बहुआयामी सूचकांक से बदलना। इसमें शामिल होना चाहिए: कच्चे आवासों (अस्थायी संरचनाओं) की हिस्सेदारी, उच्च-संकट वाले जिलों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का घनत्व, फसल बीमा की पैठ और प्रारंभिक चेतावनी की पहुंच।

- **डेटा का संस्थागतकरण:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को वार्षिक 'राज्य आपदा सुभेद्यता सूचकांक' प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह भविष्य के वित्त आयोगों के लिए एक मानकीकृत, वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करेगा, जिससे "विवादास्पद मेट्रिक्स" पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

नालंदा विश्वविद्यालय

संदर्भ

नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, भारत की राष्ट्रपति ने जोर दिया कि नालंदा की बहाली पूरे विश्व के लिए एक बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है।

नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में

- **नालंदा, जो वर्तमान बिहार में स्थित है, 700 से अधिक वर्षों (5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी) तक फला-फूला।**
- **स्थापना: गुप्त साम्राज्य के दौरान स्थापित, विशेष रूप से कुमारगुप्त प्रथम (427 ईस्वी) के संरक्षण में।**
    - कन्नौज के हर्षवर्धन और पाल राजाओं जैसे बाद के शासकों ने इसे समर्थन देना जारी रखा।
- कुषाण/गुप्त शैली में लाल ईंटों का उपयोग करके निर्मित; इसमें विशिष्ट विहार (मठ) और चैत्य (मंदिर) शामिल थे।
- यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। इसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के विद्वानों को आकर्षित किया।
- धर्मगंज ("सत्य का खजाना") के रूप में प्रसिद्ध, इसमें तीन विशाल इमारतें शामिल थीं: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक।
- **बख्तियार खिलजी का आक्रमण (लगभग 1193 ईस्वी):** नालंदा के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटना कुतुब-उद-दीन ऐबक के अधीन ममलुक वंश के एक सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया जाना था।
- **यात्री वृत्तांत:** ह्वेन सांग (7वीं शताब्दी) और इ-त्सिंग (उत्तर 7वीं शताब्दी)।
- **नालंदा के प्रतिष्ठित विद्वान:** विश्वविद्यालय का नेतृत्व एक कुलाधिपति (मठाधीश) द्वारा किया जाता था, जो आमतौर पर सबसे वरिष्ठ भिक्षु होते थे। उल्लेखनीय व्यक्तित्वों में शामिल हैं:
    - **आर्यभट्ट**: अक्सर विश्वविद्यालय से जुड़े, महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री के बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक समय में संस्थान का नेतृत्व किया था।
    - **धर्मपाल और शीलभद्र:** शीलभद्र चीनी यात्री ह्वेन सांग के शिक्षक थे और सभी बौद्ध सूत्रों में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे।
    - **ह्वेन सांग (Hiuen Tsang):** प्रसिद्ध चीनी यात्री जो कई वर्षों तक रहे, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'सी-यू-की' में विश्वविद्यालय की कठोर प्रवेश परीक्षाओं और शैक्षणिक जीवन का दस्तावेजीकरण किया।
    - **नागार्जुन**: महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक स्कूल के प्राथमिक दार्शनिक।
    - **अतीश**: तिब्बती बौद्ध धर्म के सरमा वंशों के प्रसार में एक प्रमुख व्यक्ति।
- **शैक्षणिक और सांस्कृतिक योगदान**
    - **पाठ्यक्रम**: "पांच विज्ञान" पढ़ाए जाते थे: व्याकरण, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, चिकित्सा और तत्वमीमांसा। इसमें वेद, गणित, खगोल विज्ञान और ललित कलाएं भी शामिल थीं।
    - **नालंदा कांस्य स्कूल:** यह धातु ढलाई का एक प्रमुख केंद्र था। "नालंदा कांस्य" ने दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेष रूप से श्रीविजय साम्राज्य (इंडोनेशिया) में कला शैलियों को प्रभावित किया।
    - **बौद्ध धर्म का प्रसार**: नालंदा तिब्बत और पूर्वी एशिया में महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रसार का उपरिकेंद्र था।
        - तिब्बती लिपि स्वयं नालंदा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली लिपियों से भारी रूप से प्रभावित थी।
    - **तर्कशास्त्र (प्रमाण) की विरासत:** इसने तर्क और ज्ञानमीमांसा की भारतीय प्रणाली को परिष्कृत किया, जो आज भी बौद्ध दर्शन का आधार स्तंभ है।
- **समकालीन स्थिति**

- **2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।**
- 2014 में राजगीर में पुराने खंडहरों के पास, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पुन: स्थापित किया गया।

हीलियम परमाणुओं में क्वांटम एंटेंगमेंट

संदर्भ

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में हीलियम परमाणुओं में संवेग एंटेंगमेंट (momentum entanglement) का प्रदर्शन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्यमान युक्त कण एक साथ दो क्वांटम पथों में विद्यमान रह सकते हैं और परस्पर सह-संबद्ध (correlated) बने रहते हैं (नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित)।

हीलियम परमाणु एंटेंगमेंट प्रयोग के चरण

- **BEC निर्माण**: अति-शीतल हीलियम परमाणुओं को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट (BEC) के रूप में ठंडा किया गया ताकि परमाणु एकल क्वांटम तरंग की भांति व्यवहार करें।
- **लेजर विखंडन**: लेजर पल्स परमाणु तरंग को विभिन्न संवेग अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिससे कई संभावित क्वांटम पथ निर्मित होते हैं।
- **परमाणु टक्कर**: पृथक परमाणु तरंगें आपस में टकराती हैं और विपरीत दिशाओं में गतिमान युग्मित परमाणुओं को उत्पन्न करती हैं, जो एंटेंगल्ड संवेग अवस्थाओं का निर्माण करते हैं।
- **पता लगाना(Detection)**: एक प्लेट डिटेक्टर आने वाले परमाणुओं और उनके सहसंबंधित संवेग को रिकॉर्ड करता है, जिससे युग्मों के बीच क्वांटम उलझाव की पुष्टि होती है।

क्वांटम एंटेंगमेंट के बारे में

क्वांटम एंटेंगमेंट एक ऐसी परिघटना है जहाँ दो या दो से अधिक कण एक ही क्वांटम अवस्था साझा करते हैं, जिससे एक कण के मापन से दूसरे की अवस्था तुरंत निर्धारित हो जाती है।

- **गैर-स्थानिकता (Non-Locality):** एंटेंगल्ड कण बड़ी दूरी से अलग होने पर भी सह-संबद्ध रहते हैं (क्वांटम गैर-स्थानिक व्यवहार)।
- **आइंस्टीन का शब्द:** अल्बर्ट आइंस्टीन ने एंटेंगमेंट को "दूरी पर डरावनी क्रिया" (spooky action at a distance) कहा था (क्योंकि यह शास्त्रीय अंतर्ज्ञान के विपरीत है)।
- **शामिल कण:** प्रारंभ में फोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में देखा गया, लेकिन अब परमाणुओं, आयनों, सुपरकंडक्टिंग सर्किट और हीलियम परमाणुओं में इसका प्रदर्शन किया गया है।
- **क्वांटम अध्यारोपण संबंध:** एंटेंगमेंट तब उत्पन्न होता है जब कण एक साथ अवस्थाओं के अध्यारोपण (superposition) में विद्यमान होते हैं।
- **संवेग एंटेंगमेंट:** हालिया प्रयोग न केवल स्पिन जैसे आंतरिक गुणों में, बल्कि कणों की गति (संवेग) में भी एंटेंगमेंट प्रदर्शित करते हैं।
- **क्वांटम टेलीपोर्टेशन:** यह एंटेंगल्ड कणों के बीच क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करता है, न कि स्वयं पदार्थ को।

खोज का महत्व

- **क्वांटम-गुरुत्वाकर्षण संबंध:** यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन द्रव्यमान युक्त कणों में क्वांटम व्यवहार को दर्शाता है, जिससे क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के बीच संबंधों के अध्ययन हेतु प्रयोग सक्षम होते हैं।
- **मौलिक भौतिकी का परीक्षण:** यह उन्नत 'बेल असमानता परीक्षण' (Bell inequality tests) की अनुमति देता है, जिससे क्वांटम यांत्रिकी की गैर-स्थानिक नींव को सत्यापित करने में सहायता मिलती है।
- **डिकोहेरेंस (Decoherence) को समझना:** यह डिकोहेरेंस (पर्यावरणीय विक्षोभ के कारण क्वांटम व्यवहार की हानि) के अध्ययन हेतु एक मंच प्रदान करता है।

- **सटीक क्वांटम सेंसर**: एंटेंगल्ड परमाणु 'परमाणु इंटरफेरोमीटर' और क्वांटम सेंसर में सुधार कर सकते हैं (अनुप्रयोग: नेविगेशन प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण माप, डार्क मैटर संसूचन)।
- **क्वांटम प्रौद्योगिकियां:** भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रणालियों का समर्थन करता है (एंटेंगमेंट मौलिक संसाधन है)।
- **तुल्यता सिद्धांत का परीक्षण:** भविष्य के प्रयोग क्वांटम व्यवस्था में 'अल्प तुल्यता सिद्धांत' (weak equivalence principle - गुरुत्वाकर्षण सभी द्रव्यमानों को समान रूप से प्रभावित करता है) का परीक्षण कर सकते हैं।
- **क्वांटम नेटवर्क को आगे बढ़ाना:** परमाणु-आधारित एंटेंगमेंट फोटॉन-आधारित क्वांटम नेटवर्क का पूरक हो सकता है, जिससे अधिक सुदृढ़ क्वांटम सूचना हस्तांतरण सक्षम होगा।

दक्षिण एशिया में भारत के लिए उभरते व्यापार अवसर

संदर्भ

- दक्षिण एशिया में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन—बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के नए नेतृत्व—भारत के लिए गहन आर्थिक जुड़ाव, विशेष रूप से व्यापार के माध्यम से अपनी पड़ोस नीति को फिर से निर्धारित करने का अवसर पैदा करते हैं।

हाल का राजनीतिक परिवर्तन

- **बांग्लादेश:** तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार और बीएनपी (2026 चुनाव) ने "बांग्लादेश फर्स्ट" नीति पर जोर दिया, जो व्यावहारिक और हित-आधारित विदेशी संबंधों की ओर बदलाव का संकेत है।
- **नेपाल:** बालेंद्र शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का उदय एक पीढ़ीगत राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो पारंपरिक पार्टी संरचनाओं और पुराने भू-राजनीतिक संरेखण से आगे बढ़ रहा है।
- **श्रीलंका:** 2024 के बाद नेतृत्व परिवर्तन ने भारत के साथ व्यावहारिक जुड़ाव को जन्म दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में पहले के राजनीतिक अविश्वास में कमी आई है।
- **क्षेत्रीय रुझान:** पूरे दक्षिण एशिया में, युवा नेतृत्व और राष्ट्रवादी घरेलू एजेंडे पुराने निर्भरता-आधारित राजनीतिक ढांचे की जगह ले रहे हैं।

भारत के लिए व्यापार के अवसर

- **बाजार एकीकरण:** भारत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के निर्यात के लिए क्षेत्रीय बाजार पहुंच का विस्तार कर सकता है(भारत पहले से ही इन देशों के साथ व्यापार अधिशेष चलाता है)।
    - उदाहरण के लिए, टैरिफ, प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वापसी के साथ, भारत एक वैकल्पिक बाजार प्रदान कर सकता है।
- **निवेश संबंध:** पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में अधिक भारतीय निवेश आपूर्ति श्रृंखलाओं को गहरा कर सकता है और पारस्परिक आर्थिक लाभ पैदा कर सकता है।
- **क्षेत्रीय आर्थिक सुरक्षा:** आर्थिक सहयोग देशों को बाहरी झटकों (जैसे, प्रेषण और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली खाड़ी अस्थिरता) का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है।
- **रणनीतिक संतुलन:** मजबूत आर्थिक एकीकरण व्यापार और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए चीन पर पड़ोसियों की निर्भरता को कम कर सकता है।
- **कनेक्टिविटी विस्तार:** सीमा के बुनियादी ढांचे और रसद नेटवर्क में सुधार से 4,000 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा और भारत-नेपाल खुली सीमा पर व्यापार क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है।
- **ऊर्जा सहयोग:** नेपाल और भूटान के साथ भारत का क्षेत्रीय पावर ग्रिड और पनबिजली व्यापार दक्षिण एशिया में ऊर्जा एकीकरण को मजबूत कर सकता है।

शासन व्यवस्था में हो रही प्रगति की गति में कमी के कारण पृथ्वी की कक्षाएँ भरती जा रही हैं।

संदर्भ

- उपग्रह प्रक्षेपणों और मेगा-कांस्टेलेशन (जैसे, स्टारलिंक) के तीव्र विस्तार ने पृथ्वी के कक्षीय वातावरण को तेजी से भीड़भाड़ वाला बना दिया है, जिससे अंतरिक्ष मलबे, टक्कर के जोखिम और कमजोर वैश्विक शासन तंत्र के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

पृथ्वी की कक्षा में समस्याएं

- **कक्षीय भीड़:** उपग्रहों और मेगा-नक्षत्रों की तेजी से वृद्धि से कक्षीय भीड़ बढ़ रही है (10,000 से अधिक सक्रिय उपग्रह; हजारों सालाना लॉन्च किए जाते हैं)।
- **अंतरिक्ष मलबा:** निष्क्रिय उपग्रहों और टकरावों के टुकड़े सक्रिय अंतरिक्ष यान (>36,000 मलबे की वस्तुएं >ईएसए/नासा द्वारा ट्रैक किए गए 10 सेमी) को खतरे में डालते हैं।
- **टक्करों की श्रृंखला (Collision Cascades):** लगभग 28,000 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाला छोटा मलबा भी उपग्रहों को नष्ट कर सकता है, जिससे हजारों नए टुकड़े उत्पन्न होते हैं (केसलर सिंड्रोम का जोखिम)।
- **ट्रैकिंग सीमाएँ:** छोटे मलबे और टुकड़ों को अक्सर लगातार ट्रैक नहीं किया जा सकता है, जिससे टकराव से बचने में अनिश्चितता बढ़ जाती है।
- **असमान डेटा एक्सेस:** कक्षीय ट्रैकिंग डेटा और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता जानकारी असमान रूप से देशों और ऑपरेटरों में साझा की जाती है।
- **अनिश्चित जिम्मेदारी:** यह पहचानने में कठिनाई कि किस उपग्रह ने मलबा या क्षति पहुंचाई, जिससे दायित्व और जवाबदेही जटिल हो गई

वैश्विक शासन में मुद्दे

- **खराब निगरानी:** नियामक अक्सर तैनाती के बाद सत्यापित अनुपालन के बजाय ऑपरेटरों के पूर्व-लॉन्च वादों पर भरोसा करते हैं।
- **पुरानी संधियाँ:** बाहरी अंतरिक्ष संधि (1967) जैसे मौजूदा ढांचे को राज्य के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष गतिविधि के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि आज की वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए।
- **मलबे का कमजोर विनियमन:** मलबे को कम करने के दिशानिर्देश (जैसे, संयुक्त राष्ट्र COPUOS दिशानिर्देश) सीमित प्रवर्तन के साथ स्वैच्छिक रहते हैं।
- **निजी क्षेत्र का विस्तार:** विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण नियामक निरीक्षण के बिना मेगा-नक्षत्र लॉन्च करने वाली निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका।
- **नियामक विखंडन:** विभिन्न देश अलग-अलग लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू करते हैं, जिससे कंपनियां अधिक अनुमेय क्षेत्राधिकारों के तहत काम करती हैं।
- **सावधानी के कर्तव्य (Duty-of-Care) मानकों का अभाव:** कक्षीय संकुलन या दीर्घकालिक प्रबंधन दायित्वों को परिभाषित करने वाला कोई वैश्विक समझौता नहीं है।

भारत के लिए अवसर

- **मानदंड-निर्धारण भूमिका:** भारत अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का मसौदा तैयार करते समय अंतरिक्ष स्थिरता और कक्षीय जिम्मेदारी पर वैश्विक मानदंडों को आकार दे सकता है।
- **जिम्मेदार अंतरिक्ष शासन:** मलबे को कम करने, टकराव से बचने और जीवन के अंत में उपग्रह निपटान को राष्ट्रीय लाइसेंसिंग प्रणालियों में शामिल करना।
- **अंतरिक्ष स्थिरता में नेतृत्व:** अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और मलबे की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी विकास:** मलबा ट्रैकिंग सिस्टम, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और सक्रिय मलबा हटाने की प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
- **राजनयिक प्रभाव:** नियम-आधारित अंतरिक्ष शासन को बढ़ावा देने के लिए UN COPUOS, G20 और क्वाड अंतरिक्ष पहल जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।

वैश्विक व्यवधानों के बीच आरबीआई द्वारा निर्यात प्राप्ति की समयसीमा में विस्तार

संदर्भ

वैश्विक व्यवधानों और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्यातकों को समर्थन देने के लिए RBI ने निर्यात प्राप्ति समयसीमा और ऋण अवधि का विस्तार किया है।

भारत में निर्यात प्राप्ति और निर्यात ऋण

- **निर्यात प्राप्ति से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा भारतीय निर्यातकों को निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त होता है।**
- समय पर प्राप्ति विदेशी मुद्रा प्रवाह को बनाए रखने और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत, निर्यातकों को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन करना आवश्यक है।
- निर्यात ऋण व्यापार वित्त का एक अन्य प्रमुख घटक है। उसमे समाविष्ट हैं:
    - **प्री-शिपमेंट क्रेडिट,** जो उत्पादन और पैकेजिंग के वित्तपोषण के लिए माल निर्यात करने से पहले प्रदान किया जाता है।
    - **पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट,** जो भुगतान प्राप्त होने तक माल भेजे जाने के बाद निर्यातकों का समर्थन करता है।
        - भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता, वित्तीय स्थिरता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा और ऋण शर्तों दोनों को नियंत्रित करता है।

निर्यात विनियमन में आरबीआई की भूमिका

- आरबीआई भारत के बाहरी क्षेत्र के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- यह निर्यात प्राप्ति और प्रत्यावर्तन के लिए समयसीमा निर्धारित करता है।
- यह निर्यात ऋण अवधि और ब्याज मानदंडों को नियंत्रित करता है।
- यह स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है।
- ये उपाय विशेष रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ निर्यात संवर्धन को संतुलित करने में मदद करते हैं।

निर्यात समयसीमा में छूट की आवश्यकता

- वैश्विक व्यवधानों, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनावों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- शिपिंग मार्ग जोखिम भरे और महंगे हो गए हैं।
- लॉजिस्टिक्स में देरी ने पारगमन समय में वृद्धि की है।
- अनिश्चितता के कारण भुगतान चक्र लंबा हो गया है।
- ऐसे परिदृश्य में, निर्यात प्राप्ति के लिए सख्त समयसीमा निर्यातकों के लिए तरलता की कमी पैदा कर सकती है।
- इसलिए, निर्यात की गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत लचीलापन आवश्यक हो जाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ

- **तरलता समर्थन:** निर्यातकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे वित्तीय तनाव कम होता है।
- **व्यापार निरंतरता:** लॉजिस्टिक व्यवधानों के बावजूद निर्यात को बनाए रखने में मदद करता है।
- **विदेशी मुद्रा स्थिरता:** लंबी अवधि में विदेशी मुद्रा का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- **लागत प्रबंधन:** निर्यातकों को उच्च माल ढुलाई और बीमा लागत का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- हालांकि, प्राप्ति में लंबे समय तक देरी से विदेशी मुद्रा प्रवाह और भुगतान संतुलन की गतिशीलता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है।

वैश्विक तनाव और भारत की अर्थव्यवस्था

संदर्भ

विशेषकर ऊर्जा-समृद्ध पश्चिम एशिया में बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता भारत के व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये पर दबाव और राजकोषीय संसाधनों के कम होने के साथ, वैश्विक संघर्षों और घरेलू आर्थिक स्थिति के बीच का अंतर्संबंध पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है।

कोर भेद्यता: ऊर्जा निर्भरता

- भारत अपनी 85% से अधिक कच्ची तेल की खपत आयात करता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में किसी भी तरह की उथल-पुथल से इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- कच्चे तेल की कीमत हाल ही में 156.29 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालती है।
- कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर की वृद्धि से चालू खाता घाटा बढ़ता है, परिवहन और उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और व्यापक मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है।

वैश्विक झटके भारत के दरवाजे तक कैसे पहुंचते हैं

मुद्रा और भंडार दबाव में

- रुपया रिकॉर्ड ₹95 प्रति डॉलर तक गिर गया है, जिससे आयात लागत बढ़ गई है और मुद्रास्फीति का दबाव गहरा हो गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके हस्तक्षेप किया है, जो घटकर लगभग 709 बिलियन डॉलर रह गया है।
- इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से पूंजी खींच ली है, जिससे बाहरी स्थिरता पर और दबाव बढ़ गया है।

तेल की ऊंची कीमतों का राजकोषीय बोझ

- **जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार को दोहरे दबाव का सामना करना पड़ता है:** उच्च उर्वरक और एलपीजी सब्सिडी के माध्यम से व्यय बढ़ता है, जबकि राजस्व कम हो जाता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को बचाने के लिए ईंधन करों में कटौती करता है। उत्पाद शुल्क में कटौती के पहले के दौर के परिणामस्वरूप राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, भले ही सब्सिडी बिलों में तेजी से वृद्धि हुई। तेल की कीमतों में वृद्धि की निरंतर अवधि राजकोषीय घाटे को काफी बढ़ा सकती है।

लेन-देन पर निर्मित राजस्व प्रणाली

- भारत का कर ढांचा उपभोग-संचालित राजस्व पर निर्भर हो गया है।
- जीएसटी संग्रह बढ़कर 22.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो उत्साहजनक आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है – लेकिन यह नाजुकता का एक स्रोत भी है।
- कोई भी झटका जो खपत को कम करता है, सीधे सरकारी वित्त को नष्ट कर देता है, जिससे संकट के दौरान राजकोषीय लचीलापन बनाए रखना कठिन हो जाता है।

घरेलू आर्थिक तंगी

- निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 61.4% का योगदान देती है, जिससे घरेलू वित्तीय स्वास्थ्य समग्र आर्थिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय हो जाता है। फिर भी घरेलू देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद के 41% से अधिक तक चढ़ गई हैं, जिससे परिवारों को आय और कीमतों के झटके के खिलाफ सीमित सुरक्षा मिल गई है।
- बढ़ती ऊर्जा लागत डिस्पोजेबल आय को कम करती है, विवेकाधीन खर्च को कम करती है, और विकास को चलाने वाले खपत इंजन को कमजोर करती है। एलपीजी आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने आम परिवारों के लिए कठिनाई की एक और परत जोड़ दी है।

उद्योग और निवेश: एक मिश्रित तस्वीर

- भारत का औद्योगिक क्षेत्र दो अर्थव्यवस्थाओं की कहानी प्रस्तुत करता है। पूंजी-गहन विनिर्माण अच्छी तरह से पकड़ रहा है, और सरकारी पूंजीगत व्यय मजबूत बना हुआ है।

- हालांकि, श्रम-गहन उद्योग पिछड़ रहे हैं, निजी निवेश झिझक रहा है, और घोषित परियोजनाओं का केवल एक अंश ही पूरा हो रहा है - कारोबारी माहौल में व्यापक सावधानी का संकेत।
- छोटे उद्यम और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी इन व्यवधानों का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि कम मांग और आपूर्ति-श्रृंखला तनाव के कारण बंद हो जाते हैं और नौकरी का नुकसान होता है।

व्यापक विरोधाभास

- **भारत खुद को एक असामान्य स्थिति में पाता है:** लगभग 8.1% की जीडीपी वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश कमजोर घरेलू आय वृद्धि, बढ़ते ऋण स्तर और बढ़ती बाहरी कमजोरियों के साथ बैठता है। यह विचलन वर्तमान विकास मॉडल में एक मौलिक तनाव को उजागर करता है - बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाला विस्तार दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण करता है, लेकिन स्वचालित रूप से मजबूत मजदूरी, व्यापक रोजगार, या बहुमत के लिए बेहतर खपत में अनुवाद नहीं करता है।

आगे की राह

इन कमजोरियों को दूर करने के लिए रणनीति में सोच-समझकर बदलाव करना आवश्यक है:

- कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना
- निरंतर रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि के माध्यम से आय-आधारित मांग को मजबूत करना
- उपभोग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील लेन-देन-आधारित राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए कर आधार का विस्तार करना
- आवश्यक सार्वजनिक व्यय में कटौती किए बिना भविष्य के संकटों से निपटने के लिए राजकोषीय सुरक्षा उपाय तैयार करना

निष्कर्ष

भारत की विकास गाथा आकर्षक बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में इसे बनाए रखने के लिए अधिक लचीले, समावेशी और संतुलित आर्थिक ढांचे की आवश्यकता है - एक ऐसा ढांचा जो राजमार्गों के निर्माण के साथ-साथ परिवारों की सुरक्षा भी करे।

मानव तस्करी से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव तस्करी के मामलों, विशेष रूप से लापता व्यक्तियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

मानव तस्करी के बारे में

मानव तस्करी शोषण के इरादे से बल, छल या धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों का परिवहन और उनकी भर्ती करना है। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और बलात् श्रम निषिद्ध है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध है, हालांकि तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- **एक समान एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के लिए आह्वान:** न्यायालय ने एक सरल, जमीनी स्तर की प्रक्रिया के लिए कहा है जिसका पुलिस स्टेशन सैद्धांतिक ढांचे के बजाय तुरंत पालन कर सकें।
- **समय-संवेदनशील कार्रवाई**: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पहले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, और देरी से बचाव की संभावना कम हो सकती है।
- **निरंतर जांच:** अधिकारियों को मामलों को नियमित रूप से नहीं मानना चाहिए; जब तक व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक जांच सक्रिय रूप से जारी रहनी चाहिए।
- **बहु-स्तरीय परामर्श**: केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह सचिवों और पुलिस प्रमुखों को एक साथ काम करने और क्षेत्र-स्तर के अधिकारियों से परामर्श करने के लिए कहा गया है।
- **विशेषज्ञ समिति की भूमिका:** विशेषज्ञों की एक समिति (वरिष्ठ पुलिस और कानूनी पेशेवरों सहित) प्रभावी प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता करेगी।

- **पुलिस स्तर का क्रियान्वयन:** एसओपी को शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पुलिस स्टेशनों का स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **लापता व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता:** लापता व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों और कमजोर समूहों को शुरू से ही संभावित तस्करी के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए।

अनुच्छेद 23 के तहत निषेध के बावजूद तस्करी के मामलों में वृद्धि के कारण

- **लैंगिक असमानता:** संसाधनों, शिक्षा, भोजन और आवास तक विभेदक पहुंच के कारण, महिलाओं और लड़कियों की तस्करी उन लोगों द्वारा की जाती है जो उनकी सुभेद्यताओं का लाभ उठाते हैं।
    - **उदाहरण**: 2022 में मानव तस्करी के 6,500 पीड़ितों में से 60% महिलाएं और लड़कियां थीं। (एनसीआरबी)
- **सस्ते श्रम की मांग:** भारत में सस्ते श्रम की मांग के साथ, तस्कर जबरन श्रम की तस्करी के माध्यम से लोगों का शोषण करते हैं।
- **प्रवासन:** बेहतर अवसरों की तलाश के लिए, भारतीय शहरों को बड़े पैमाने पर प्रवासन का सामना करना पड़ता है और तस्कर भविष्य के रोजगार के वादों के साथ प्रवासियों को लुभाकर स्थिति का लाभ उठाते हैं।
- **गरीबी:** सामाजिक-आर्थिक असमानता और पूर्वाग्रह मनुष्यों में ट्रैफिकिंग की समस्या को बढ़ा देते हैं।
- **तस्करी हॉटस्पॉट:** भारत में विभिन्न राज्य तस्करी के लिए गंतव्य बन गए हैं।
    - **उदाहरण:** महाराष्ट्र में पांच वर्षों में सबसे अधिक 1,392 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी उपाय

- **विधान:** विभिन्न कानून भारत में बंधुआ और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करते हैं।
    - जैसे: किशोर न्याय अधिनियम या बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम।
- **अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम:** व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी को IMPA के तहत सात साल की कैद की अतिरिक्त सजा के साथ दंडित किया जाता है।
- **भारतीय दंड संहिता:** आईपीसी की धारा 366 (ए) और धारा 372 दस साल की कैद के दंड के साथ नाबालिगों के अपहरण और वेश्यावृत्ति में बेचने पर रोक लगाती है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015:** अधिनियम में तस्करी किए गए बच्चे की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है और वह अधिनियम की धारा 2 में बताई गई विकलांगता से पीड़ित है।
    - **उदाहरण के लिए:** अधिनियम की धारा 23,24,25,26 अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध के रूप में घोषित बच्चों के शोषण के विभिन्न रूपों से संबंधित है।

मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए अन्य पहल

- **मानव तस्करी रोधी सेल (ATC):** मानव तस्करी की घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों को संप्रेषित करने हेतु एक साझा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में 2006 में इस सेल का शुभारंभ किया गया था।
- **ऑपरेशन आहट (AAHT):** यह रेल के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है।
- **मानव तस्करी रोधी इकाइयां (AHTUs):** भारत सरकार जिला स्तर पर AHTUs स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
    - **उदाहरण**: निर्भया फंड के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में AHTUs स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय पहल:** भारत द्वारा 'ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम' पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की गई है जिसमें मानव तस्करी पर प्रोटोकॉल शामिल है।
    - **उदाहरण**: भारत ने इसकी तर्ज पर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 लागू किया।

निष्कर्ष

अतः, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों और अन्य की पहलों से भारत में तस्करी के मामलों को रोकने में मदद मिल सकती है और इसे वास्तविकता बनाने के लिए 'मिशन वात्सल्य' योजना शुरू की गई थी।

मुख्य परीक्षा

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना

संदर्भ

भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग का कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, जो गहरे अविश्वास को दर्शाता है। हालांकि सफल होने की संभावना नहीं है, यह बढ़ते तनाव का संकेत देता है, जहां एक संवैधानिक प्राधिकरण को एक तटस्थ निकाय के बजाय एक राजनीतिक विरोधी के रूप में देखा जाता है।

नियुक्ति प्रक्रिया

2023 के विधायी परिवर्तन

- संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, पद की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया।
- कानून के अनुसार, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
    - प्रधानमंत्री
    - केंद्रीय मंत्री
    - विपक्ष के नेता

न्यायिक पृष्ठभूमि

- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल में शामिल करने का सुझाव दिया था।
- 2023 के कानून में न्यायिक सदस्य को शामिल न किए जाने से संस्थागत स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है।
- यह कानून जया ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती के अधीन है, और आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है।

चुनाव आयोग का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 324: मूल दायित्व

- अनुच्छेद 324 भारत के एक स्थायी चुनाव आयोग की स्थापना करता है।
- यह आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है:
    - अधीक्षण
    - निर्देशन
    - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों पर नियंत्रण।
- यह संवैधानिक दर्जा स्वतंत्रता की प्राथमिक संरचनात्मक गारंटी प्रदान करता है।

कार्यकाल संरक्षण

- 2023 के अधिनियम के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त छह वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रह सकते हैं।
- कार्यकाल के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रतिकूल सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

हटाने के सुरक्षा उपाय

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना

- **अनुच्छेद 324(5) में प्रावधान है कि CEC को केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।**
- हटाने का आधार निम्नलिखित इन तक सीमित हैं:
    - सिद्ध दुर्व्यवहार

- अक्षमता

- यह उच्च सीमा मनमाने ढंग से कार्यकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है।

अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना

- CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।
- विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CEC की सलाह स्वत: संज्ञान नहीं ली जानी चाहिए।
- यह व्यवस्था संस्थागत स्वायत्तता के साथ कार्यकारी अधिकार को संतुलित करने का प्रयास करती है।

बहु-सदस्यीय आयोग का विकास

- **अनुच्छेद 324** CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों वाले आयोग को अनुमति देता है।
- महत्वपूर्ण घटनाक्रम:
  - **1989**: आयोग कुछ समय के लिए बहु-सदस्यीय बना।
  - **1990**: अतिरिक्त पदों को समाप्त कर दिया गया।
  - **1993:** बहु-सदस्यीय संरचना को स्थायी रूप से बहाल किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में इस संरचना को बरकरार रखा।
- CEC अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो समन्वित और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेना सुनिश्चित करता है।

हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया

प्रस्ताव की शुरुआत

- निष्कासन की कार्यवाही न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के ढांचे का पालन करती है।
- प्रस्ताव के लिए आवश्यक है:
  - कम से कम 100 लोकसभा सदस्य, या
  - कम से कम 50 राज्यसभा सदस्य।

जांच तंत्र

- प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है जिसमें शामिल हैं:
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  - एक प्रतिष्ठित न्यायविद
- विशिष्ट आरोप निर्धारित किए जाने चाहिए और सूचित किए जाने चाहिए।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

- CEC को निम्नलिखित प्राप्त होना चाहिए:
  - जवाब देने के लिए पर्याप्त समय
  - बचाव पेश करने का अवसर
- कथित अक्षमता के मामलों में, एक चिकित्सा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है।
- ये सुरक्षा उपाय निष्पक्ष सुनवाई के नियम के पालन को दर्शाते हैं, जो एक मूल संवैधानिक मूल्य है।

संस्थागत और राजनीतिक विचार

- हटाने के प्रस्तावों के लिए विशेष संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे व्यापक सहमति के बिना सफलता मुश्किल हो जाती है।
- सत्तारूढ़ गठबंधन की संसदीय ताकत अक्सर एक व्यावहारिक कारक बन जाती है।
- व्यापक संवैधानिक अपेक्षा यह है कि सभी हितधारक स्वतंत्र निकायों की स्वायत्तता का सम्मान करें।

- संवैधानिक संस्थाओं का अत्यधिक राजनीतिकरण जनता के विश्वास को कम कर सकता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- भारत का संवैधानिक डिजाइन चुनाव आयोग के लिए पर्याप्त संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि, नियुक्तियों, मतदाता सूची प्रबंधन और संस्थागत धारणा पर बहस निम्नलिखित के महत्व पर प्रकाश डालती है:
    - पारदर्शिता
    - प्रक्रियात्मक निष्पक्षता
    - क्रॉस-पार्टी ट्रस्ट
- चुनावी विश्वसनीयता का स्थायित्व न केवल औपचारिक सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है, बल्कि संस्थागत संस्कृति और जनता के विश्वास पर भी निर्भर करता है।

निष्कर्ष

- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भारत की लोकतांत्रिक वैधता के केंद्र में बनी हुई है।
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय, विशेष रूप से कठोर निष्कासन प्रक्रिया, मजबूत औपचारिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- आगे बढ़ते हुए, भारत की चुनावी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए कानूनी स्वायत्तता और जनता का विश्वास दोनों बनाए रखना आवश्यक होगा।

भारत में उच्च मातृ मृत्यु: लैंसेट अध्ययन

संदर्भ

द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु दर के मामले में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शुमार है।

मुख्य निष्कर्ष

- लगातार गिरावट की अवधि के बाद, 2015 के बाद से मातृ मृत्यु में कमी धीमी हो गई है।
- विश्व स्तर पर, गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण 2023 में लगभग 2.4 लाख महिलाओं की मृत्यु हो गई।
- इनमें से लगभग 24,700 मौतें भारत में हुईं, जो नाइजीरिया, पाकिस्तान और इथियोपिया जैसे उच्च बोझ वाले देशों के साथ है।
- 1990 के बाद से, बेहतर जागरूकता, संस्थागत प्रसव में वृद्धि और सरकारी हस्तक्षेपों के कारण मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, हालांकि राज्यों में असमानताएं बनी हुई हैं।
- केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में उच्च मृत्यु दर दर्ज की जा रही है।
- भारत में अधिकांश मातृ मृत्यु रोके जा सकने वाले कारणों से होती है, जिसमें रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप से संबंधित जटिलताएं, संक्रमण और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।

मातृ मृत्यु दर को समझना

- **मातृ मृत्यु:** गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर किसी महिला की मृत्यु, जो गर्भावस्था से संबंधित या गर्भावस्था के कारण बिगड़ी हुई हो, जिसमें आकस्मिक या संयोगवश होने वाली मृत्यु शामिल नहीं है।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या।
- **मातृ मृत्यु दर**: नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, उस आयु वर्ग में प्रति लाख महिलाओं पर 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में मातृ मृत्यु की संख्या।
- **SDG लक्ष्य (3.1)**: 2030 तक वैश्विक MMR को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना।

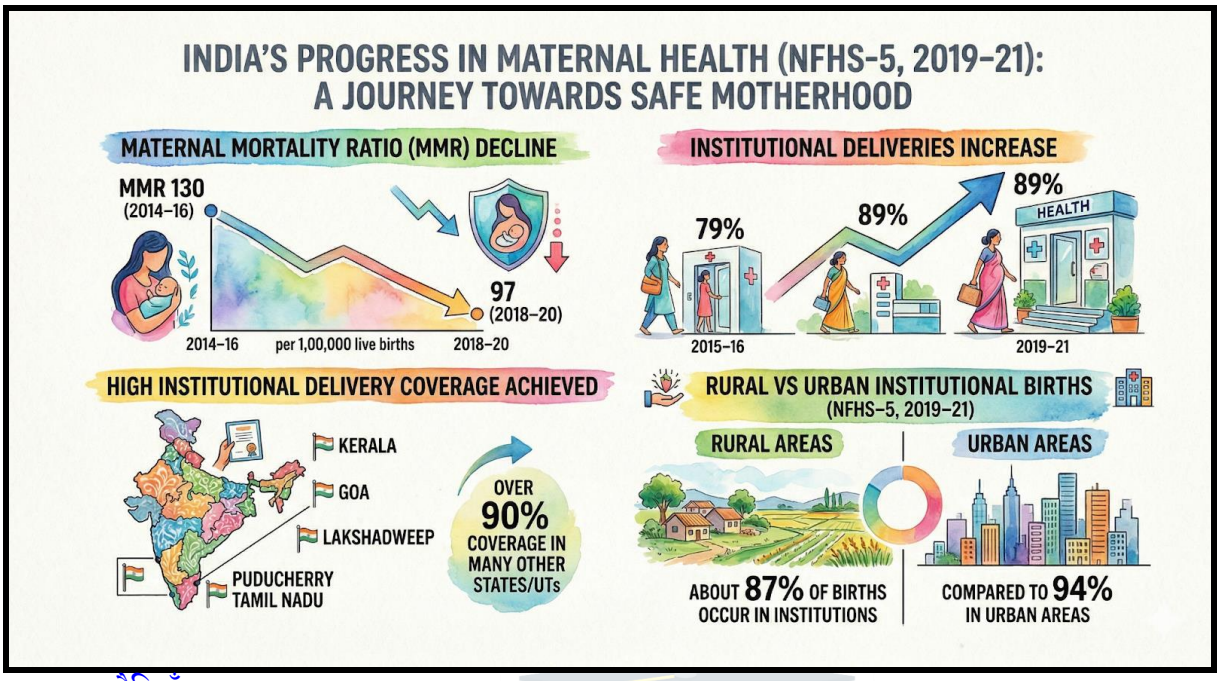

लगातार चुनौतियाँ

- **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):** परिवार अभी भी दवाओं, निदान और आपातकालीन देखभाल के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करते हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं:** महिलाओं की सीमित निर्णय लेने की शक्ति, कम जागरूकता और सामाजिक कलंक समय पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में देरी करते हैं।
- **उच्च जोखिम वाले गर्भधारण में वृद्धि**: देर से गर्भधारण, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कम जन्म अंतराल जैसे कारक जटिलताओं को बढ़ाते हैं।
- **कमजोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा**: दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त आपातकालीन प्रसूति सेवाएं, परिवहन और रक्त भंडारण सुविधाएं।

सरकारी पहल

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** पीएमएमवीवाई 2.0 के तहत एक बालिका के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए):** हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित करता है।
- **लक्ष्य कार्यक्रम**: प्रसव कक्षों और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **क्षमता निर्माण पहल:** विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनेस्थीसिया और आपातकालीन प्रसूति देखभाल में एमबीबीएस डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना।
- **मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया (एमडीएसआर):** देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मातृ मृत्यु को ट्रैक और समीक्षा करता है।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी):** मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल**: बेहतर सेवा वितरण के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की डिजिटल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

अभिनव अभ्यास

- **दस्तक अभियान (मध्य प्रदेश):** मातृ स्वास्थ्य जोखिमों का शीघ्र पता लगाने के लिए समुदाय आधारित पहल।

- **तमिलनाडु मॉडल**: समय पर आपातकालीन प्रसूति देखभाल सुनिश्चित करने वाली मजबूत रेफरल प्रणाली।

आगे की राह

भारत ने 2020 तक 100 से कम एमएमआर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को पूरा करते हुए मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हालांकि, 2030 तक एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। मातृ मृत्यु को और कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना और सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण होगा।